न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33 / 2019

श्री डेनम अलबर्ट पुत्र श्री डेविड, जाति ईसाई, निवासी ग्राम आशापुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।
2. नायब तहसीलदार, उप तहसील श्रीनगर, तहसील नसीराबाद।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–12.07.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद के राजस्व ग्राम आशापुरा स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 571 रकबा 0.35 हैक्टर की खातेदार श्रीमति अरूणा सिंघल पत्नि डॉ0 इन्द्र कुमार सिंघल साकिन देह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 07.07.2008 से श्री डेनम अलबर्ट पुत्र श्री डेविड, जाति ईसाई, निवासी ग्राम आशापुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में वसीयत कर दी गई। वसीयतशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 245 नायब तहसीलदार, श्रीनगर के समक्ष पेश होने पर नायब तहसीलदार, श्रीनगर द्वारा दिनांक 13.06.2018 को नामान्तरकरण पर यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया कि "पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत का नामान्तरकरण बिना विधिक वारिसान (प्राकृतिक) की जांच किये भरा गया है। वसीयतकर्ता की सम्पत्ति स्वअर्जित है। उत्तराधिकार से प्राप्त, यह जांच भी पूर्ण रूप से नहीं की गई है। अतः बिना सभी पक्षों की जांच व बिना सभी पक्षकारों को सुने नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता है।" अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.06.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पेरोकार सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाये जाने पर धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम आशापुरा, उप तहसील श्रीनगर, तहसील नसीराबाद स्थित विवादित आराजी के वर्किंग खसरा संख्या 371 रकबा 02–03–00 बीघा भूमि के खातेदार डॉ0 आई0के0 सिंघल पुत्र डॉ0 सी0पी0 सिंघल वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खातेदार दर्ज है, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 571 रकबा 0.35 हैक्टर बने हैं, जो अपीलान्ट के सगे जीजा थे। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनकी पत्नि श्रीमति अरूणा सिंघल पत्नि डॉ0 इन्द्र कुमार सिंघल जो कि अपीलान्ट की सगी बहन एवं खातेदार की एक मात्र वारिस थी, इनके द्वारा दिनांक 07.07.2008 को अपीलान्ट के पक्ष में समस्त खातेदारी भूमि, चल अचल सम्पत्ति का पंजीबद्ध वसीयतनामा करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमति अरूणा सिंघल का दिनांक 24.05.2010 को स्वर्गवास हो गया एवं विवादित आराजी के समस्त विधिक अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त हो गये एवं वसीयतनामा अनुसार आराजी पर अपीलान्ट का ही विधिक व भौतिक कब्जा चला आया है। उनका कथन है कि आक्षेपित नामान्तरकरण की पुस्त पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट की गई कि वसीयत के अनुसार अंकन सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया गया। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का यह भी आधार लिया गया है कि सम्पत्ति वसीयतकर्ता की स्वअर्जित है, जबकि विवादित आराजी के खातेदार श्रीमति अरूणा सिंघल के पति डॉ0 इन्द्र कुमार सिंघल थे एवं इनके कोई संतान नहीं थी। इनके स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त आराजी की विधिक खातेदार श्रीमति अरूणा सिंघल ही थी जिनके द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में आराजी की वसीयत निष्पादित की गई जो विधिक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे एवं पंजीबद्ध वसीयत के अनुसार विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच पश्चात ही आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के मूल खातेदार डॉ0 इन्द्र कुमार सिंघल पुत्र डॉ0 सी0पी0 सिंघल थे जिनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमति अरूणा सिंघल द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 571 रकबा 0.35 हैक्टर के वर्किंग खसरा संख्या 371 रकबा 02–03–00 बीघा भूमि की जरिये पंजीबद्ध वसीयतनामा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवाई गई है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा वसीयत के अनुसार अंकन सही होने की पुष्टि में रिपोर्ट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना व किसी प्रकार का नोटिस जारी किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो कि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपील नायब तहसीलदार श्रीनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों एवं विधिक वारिसान की जांच करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर